

फार्म


अचल संपत्ति विवरणका वर्ष 2013

91

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष : 2013

- 1 अधिकारी /कर्मचारी का पूरा नाम : शेख अब्दुल हकीम 2 वर्तमान धारित पद : अति. कार्या.सहा.श्रेणी-दो 3 कार्यालय का नाम : क्षेत्रीय लेखाधिकारी म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि.,भोपाल
- 4 वर्तमान वेतन : 21260+3800 5 भविष्य निधि क्रमांक : 25068809 6 कर्मचारी संख्या : 90418440

स.क्र.	उस जिले,उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
		गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सिवनी मालवा होशंगाबाद	भवन (18.5x55')	---	5 लाख	स्वयं के नाम से	एस.बी.आई. से ऋण लेकर बनाया	निरंक	परिवारिक उपयोग
2	सिवनी मालवा होशंगाबाद	कृषि भूमि	भूमि 23.086 हैक्टेयर	25 लाख	स्वयं एवं भाईयों के नाम से	पेन्निक सम्पत्ति	निरंक	भाईयों द्वारा उपयोग
3	भोपाल	भवन (21x46')	डुपलेक्स	30 लाख	स्वयं के नाम से	एस.बी.आई. से ऋण लेकर बनाया	निरंक	स्वयं उपयोग

हस्ताक्षर 

नाम : शेख अब्दुल हकीम

पद : कार्या.क्षे.ले.म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि.,भोपाल

जहां लागू न हो काट दीजिए

ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही सही निधारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताइए।

इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी- मंडल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लंबित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवे।

कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें

संलग्न - उपरोक्तानुसार ।